आचार्य
श्री नरेंद्र मोदी

ACHARYA (CHANCELLOR)
SHRI NARENDRA MODI

उपाचार्य
प्रो. विद्युत चक्रवर्ती

UPACHARYA (VICE-CHANCELLOR)
PROF. BIDYUT CHAKRABARTY

विश्वभारती
VISVA-BHARATI
(Established by the Parliament of India under
Visva-Bharati Act XXIX of 1951
Vide Notification No. : 40-5/50 G.3 Dt. 14 May, 1951)

संस्थापक
रवीन्द्रनाथ ठाकुर

FOUNDED BY
RABINDRANATH TAGORE

शांतिनिकेतन - 731235
SANTINIKETAN - 731235
जि.वीरभूम, पश्चिम बंगाल, भारत
DIST. BIRBHUM, WEST BENGAL, INDIA
फोन Tel: +91-3463-262 451/261 531
फैक्स Fax: +91-3463-262 672
ई-मेल E-mail: vice-chancellor@visva-bharati.ac.in
Website: www.visva-bharati.ac.in

सं./No._____

दिनांक/Date._____

मेरा छठा संदेश

25 जुलाई, 2020

मेरे सहयोगी, छात्र और विश्वभारती पर आश्रित अन्य हितधारकगण !

भूमि अतिक्रमणकारियों का मकड़जाल

विश्वभारती का प्रामाणिक इतिहास लिखा जाना अभी बाकी है। ब्रह्मचर्य स्कूल से 1921 में विश्वभारती की स्थापना तक इसके विकास की कहानी सबको मालूम है। इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। 1863 में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के पिता, महर्षि देबेंद्रनाथ के आगमन के साथ इसकी शुरुआत हुई थी।शांतिनिकेतन को,महर्षि के बेटे, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा औपनिवेशिक शासन के दौरान एक वैकल्पिक शिक्षा प्रदान करने के प्रयास में,विश्वभारती की स्थापना के साथ वैश्विक प्रतिष्ठा हासिल हुई। उपनिषदिक विचारों और अन्य स्वदेशी दार्शनिक उपदेशों से प्रेरित होकर, कवि ने शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली विकसित करने का प्रयास किया, जो न केवल किताबों तक ही सीमित थी बल्कि उपयोगिता पर भी जोर देती थी।वे संहिताबद्ध ज्ञान को तर्कपूर्ण तरीके से प्रकृति से जोड़ना चाहते थे। इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि पाठभवन,विश्वभारती के परिसर में दो स्कूलों में से एक ,में कक्षाएं खुली आकाश के नीचे आयोजित की जाती हैं और छात्र प्राकृतिक परिवेश में ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह गुरुदेव की शिक्षा की विशिष्ट प्रणाली का एक पहलू है। वे परिसर के आसपास के गांवों के हित में कुछ करने के लिए चिंतिंत थे। अपने विचारों को व्यवहार में परिणत करने के लिए,विश्वविद्यालय ने अपनी शुरुआत में परिसर के आसपास के पचास गांवों को अपनाया।जैसा कि

सर्वविदित है, गुरुदेव टैगोर ने विश्वभारती को शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए दुनिया भर के विद्वानों को आमंत्रित किया,जो ब्रिटिश भारत में विकसित हुए शिक्षा पद्धति से हटकर था। न केवल भारतीय विद्वानों ने गुरुदेव के निमंत्रण को स्वीकार किया;बल्कि, लियोनार्ड नाइट एल्महर्स्ट (1893-1974) और चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज (1871-1940) जैसे विदेशी विद्वानों ने भी उत्साहपूर्वक इस उपक्रम में उनसे हाथ मिलाया। ज्यादातर मामलों में, जिन शिक्षकों को टैगोर ने स्कूलों और विश्वविद्यालय में छात्रों को पढ़ाने के लिए चुना था, उन्हें दो वक्त के भोजन के लिए पर्याप्त वेतन भी नहीं मिलता था। फिर भी,वे शिक्षा के इस महान और अभिनव केंद्र की खुशी से सेवा करते रहे क्योंकि यह उनके वैचारिक मिशन के साथ भी मेल खाता था। वे विश्वभारती में काम करके आमूल परिवर्तनवादी सांस्कृतिक प्रयोग में भाग लेकर संतुष्ट थे।

यद्यपि विश्वभारती के शिक्षकों को योग्यतानुसार वेतन नहीं मिलते थे,उन्हें रहने के लिए घर बनाने हेतु पट्टे पर जमीन दी गई। इसका उद्देश्य उन्हें परिसर में रहने के लिए जगह देना था ताकि विश्वभारती के आश्रम होने की गरिमा बनी रहे। इसलिए यह योजना बहुत सराहनीय थी। भारत और विदेश के कई विद्वान शांतिनिकेतन में आकर बस गए जिससे प्राकृतिक वातावरण में यह स्थान जीवंत हो गया। यह एक ऐसी जगह बन गई, जो न केवल कलकत्ता की भाग-दौड़ की दुनिया से दूर थी, बल्कि औद्योगिक प्रदूषण से भी मुक्त थी, क्योंकि इसका प्राकृतिक परिवेश कभी भी अशांत होने वाला नहीं था।

मैं शांतिनिकेतन के अतीत के गौरव को वापस लाने के इच्छुक लोगों का ध्यान उस भूमि पर अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जो कानूनी तौर पर विश्वभारती का है। सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर पता चलता है कि विश्वभारती एक परिसर के रूप में कैसे छोटी होती गई। समाज के उच्च श्रेणी के लोग इसके लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं। परिसर में आसपास के लोगों ने चुपचाप अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। यहाँ तक कि विश्वभारती के अधिकारियों,जिन्हें जमीन हड़पने वालों से सुरक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है,को धमकी दी जाती है।कहना आसान है पर करना कठिन। विश्वविद्यालय की कीमत पर जीवनयापन की इच्छा इस प्रकार घर कर गई है कि इससे बाहर आना मुश्किल है।बहुत दुख की बात है कि लोग बड़ी बेशर्मी से इन नापाक गतिविधियों में शामिल हैं,जबकि रबींद्रिक (रवींद्रनाथ की विचारधारा से प्रेरित) होने के अपने दावे को स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यह न केवल गलत है, बल्कि,यह उन लोगों द्वारा एक दीवार खड़ा करने का

भी प्रयास है, जो गुरुदेव के अनोखे सामाजिक-राजनीतिक विचारों का सहारा लेकर आत्म-संतुष्टि के लिए घृणित कार्य करते हैं। विश्वभारती इन लोगों के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहावत को चरितार्थ करती है। एक सर्वेक्षणके अनुसार,बंगाली जिनके पास जमीन है जिसमें आवास भी शामिल है,अगर वर्ष में एक सप्ताह से अधिक समय तक उसमें रहता है,तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा में इजाफा होता है। विश्वभारती में दो वार्षिक आयोजनों के दौरान इनमें से कई रबींद्रिक देखे जाते हैं: दिसंबर के महीने में पौष मेला और मार्च के महीने में बसंत उत्सव (होली के दिन आयोजित) के समय। इन दो अवसरों के अलावा,ये विशाल एवं आलीशान घर साल के अधिकांश समय अभीक्षक की देखरेख में रहते हैं। यह सुझाव देने के लिए नहीं है कि यहां जिन लोगों के घर हैं उन्हें हमेशा रहने की आवश्यकता है,केवल यह बताने के लिए कि अभीक्षकों की देखरेख में ये घर कई अवसरों पर ऐसे तत्वों के लिए एक आश्रय है जो आश्रम के परिप्रेक्ष्य में अच्छे नहीं लगते हैं।

नवंबर, 2018 में विश्वभारती में कार्यग्रहण के बाद, मेरा ध्यान विश्वभारती भूमि के अतिक्रमण और परिसर के आसपास अनधिकृत निर्माणों की ओर गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 30 नवंबर, 2017 को एक आदेश जारी किया जिसमें सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को निर्देश दिया गया कि वे अतिक्रमित भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए कड़े कदम उठाएं और परिसर के भीतर अनधिकृत निर्माण को भी ध्वस्त करें। तद्नुसार कदम उठाए गए। इस क्रम में, प्रशासन, मंत्रालय के निर्देशों का पालन कर रहा था।मेरे कार्यकाल की शुरुआत से, हमने मंत्रालय के निर्णय के अनुसार कई कार्य किए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

1) डाकघर और सुबर्णरेखा के बगल में स्टेशनरी, सब्जियां, फल आदि बेचने वाली कई दुकानें हैं। कई दौरों के बाद,हमें पता चला कि कई झोपड़ियाँ (कथित तौर पर दुकानें) हैं जो महीनों से बंद पड़ी हैं। हमें महसूस हुआ कि इसका उद्देश्य कब्ज़े वाली जमीन पर अधिकार बनाए रखना है। हमें यह भी पता चला कि इन दुकानों को ऊँची कीमत लेकर हस्तांतरित किया जाता है।इन परिस्थितियों में,प्रशासन ने उन तथाकथित दुकानों जो महीनों से बंद पड़ी थी,को ध्वस्त करने का निर्णय लिया।हमने अन्य दुकानों को नहीं हटाया जो चल रही थी क्योंकि वे कई परिवारों के लिए आजीविका के स्रोत हैं। हालांकि हमारे ध्यान में लाया गया था कि कई दुकान के मालिक की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। फिर भी,हमें लगा कि ये दुकानें कई परिवारों के जीविका का साधन हैं।इसलिए उनके विश्वभारती भूमि पर अनधिकृत रहने के बावजूद उन्हें नहीं हटाया।

2) हमारा ध्यान नंद सदन छात्रावास के बगल में स्थित एक कैंटीन के अनधिकृत निर्माण पर गया, जो छात्रावास में रहने वालों को नाश्ता और चपाती उपलब्ध करवाता था। संपदा अधिकारी को कैंटीन के मालिक ने धमकी दी कि अगर कैंटीन को गिराने की कोशिश की गई तो वह छात्रों को हिंसक कदम उठाने के लिए शामिल करेगा। यहाँ तक कि ओसी, शांतिनिकेतन ने भी उनसे मेरी उपस्थिति में अनुरोध किया, पर वे अड़े रहे। हमने कैंटीन को भी ध्वस्त करने का दृढ़ निर्णय लिया,क्योंकि हमें बंगाल के माननीय राज्यपाल से एक पत्र प्राप्त हुआ था,जिसमें रेखांकित किया गया था कि कई गैरकानूनी गतिविधियाँ,जिन्हें विश्वविद्यालय परिसर में अनुमति नहीं दी जा सकती है,जलपान गृह की आड़ में चलायी जा रही है। हमारी आशंका सच हुई। जाहिरा तौर पर जीर्ण-शीर्ण इमारतें थीं, (कम से कम वही जो बाहर से दिखता है)जहाँ स्थानीय गुंडों के संरक्षण में सभी प्रकार की अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि वे कानूनी कार्रवाई से नहीं डरते।

3) शांतिश्री छात्रावास की कहानी भी ऐसी ही है। छात्रावास के पास मिट्टी का बड़ा घर था,जो कथित रूप से छात्रों को नाश्ता और जलपान दे रहा था। हमने कैंटीन मालिक से घर हटाने के लिए विनम्रता से अनुरोध किया।उसने नहीं माना। उसने हमारे कार्मिक सदस्यों को गालियाँ दीं,जो वहां बने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए गए थे। फिर भी उन्हें वहाँ रहने की अनुमति नहीं दी गई। संपदा कार्यालय को आगे बढ़ने के लिए अधिकृत किया गया । चूँकि यह निर्माण अनधिकृत था, इसे गिरा दिया गया ।

4) हमने यह भी पाया कि मेला मैदान के आसपास फैले तथाकथित कवि गुरू बाजार को कानूनी मंजूरी नहीं मिली थी।विश्वभारती के ध्यान में यह भी था कि कई परिवार जीविकोपार्जन हेतु इन दुकानों से आय पर निर्भर हैं। हालांकि हमें जानकारी है कि कई दुकान के मालिक वास्तव में बहुत अमीर व्यापारी हैं और उनमें से एक-दो के शांतिनिकेतन में रिसॉर्ट्स, गेस्ट हाउस आदि हैं। सोनायझूरी हाट से गुजरते समय इन लॉज/रिसॉर्ट्स के कई होर्डिंगों देखे जा सकते हैं,जिनके मालिक की कवि गुरु बाजार में शांतिनिकेतन हस्तशिल्प की दुकानें हैं। यह संदेश फैलाने के लिए कि अतिक्रमण ने विश्वभारती को प्रभावित किया है,मैं अपने अनुगामी सहयोगियों के साथ अगस्त, 2019 में बारह घंटे की भूख हड़ताल पर बैठा था। इसके साथ ही, हमें यह भी लगा कि यह मानवता के बारे में टैगोर की बुनियादी मान्यताओं के अनुरूप नहीं है;अगर हमने इन दुकान मालिकों को अपना व्यवसाय छोड़ने के लिए कहा,क्योंकि यह उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत था। इसलिए, हमने एक विकल्प तैयार किया। हमने इन विस्थापित दुकान मालिकों के लिए वैकल्पिक बाजार-परिसर बनाने के लिए कबारखाना के पास दो बीघा जमीन

की पहचान की। माननीय मंत्री, श्री चंद्रनाथ सिन्हा जी बहुत मदद किए। विश्वभारती ने राज्य सरकार की अनुमति के साथ,चूँकि हमने जमीन राज्य सरकार से प्राप्त की थी,उन्हें परिसर निर्माण हेतु आवश्यक अनुमति दी। हमारा मानना है कि शांतिनिकेतन-श्रीनिकेतन विकास प्राधिकरण ने इस निर्णय को वास्तविकता में बदलने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं। प्रारंभ में, हमें कहा गया था कि कॉम्प्लेक्स जून, 2020 तक तैयार हो जाएगा। अब, हमें बताया गया है कि इस दिसंबर तक दुकान मालिकों को बहुमंजिला भवन (जी + 3) में दुकानें मिलेंगी। इसके लिए अनुमोदित डीपीआर डेवलपर को सौंप दिया गया है। माननीय मंत्री जी द्वारा मुझे आगे बताया गया है कि मार्केट कॉम्प्लेक्स को पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप) मोड में बनाया जाएगा, और निजी डेवलपर चुन लिए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रक्रिया को दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा,जैसा कि इससे संबंधित प्राधिकारियों ने कहा है।

5) बालीपारा, पियर्सन पल्ली और कालीगंज गांवों में,स्थानीय आदिवासी आबादी गैर-सरकारी तौर पर 50 एकड़ से अधिक भूमि पर कब्जा कर चुकी है जो कानूनी तौर पर विश्वभारती की है। ये तीनों गांव एक तरह से विश्वभारती परिसर में स्थित हैं। यहां यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि विश्वभारती संभवतः विश्व का एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसके परिसर में तीन गाँव (2000 से अधिक की जनसंख्या के साथ)हैं। विश्वभारती में अन्य सुविधाओं के साथ-साथ प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य क्लिनिक, खुला मंच है। ये गाँव न तो पंचायत के और न ही नगरपालिका प्रशासन के दायरे में हैं।अत: ग्रामीण उन सभी सामाजिक-आर्थिक लाभों से वंचित है जो आमतौर पर राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं। हालांकि, यह निवारण नहीं है, क्योंकि इन क्षेत्रों में विश्वभारती की भूमि का नियमित रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है। इस मुद्दों को हल करने के लिए,2008 में राज्य सरकार और विश्वभारती के अधिकारियों की एक संयुक्त समिति का गठन किया गया था और 2014 में पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव ने एक बैठक बुलाई,जिसमें कोई सार्थक हल नहीं निकला क्योंकि स्थिति नहीं बदली। बहरहाल, विश्वभारती ने इन गांवों को स्थानीय निकायों में से किसी के अधिकार क्षेत्र में शामिल करने के लिए राज्य सरकार को "अनापत्ति" दी।

6) आश्रम से गुजरने वाली सड़क के एक तरफ दुकानें खुलती जा रही थी जो सिर्फ पियर्सन पल्ली (पोस्ट ऑफिस - कालीसियर रोड पर)में एकीकृत विज्ञान भवन के पीछे है। हमने आपस में बैठक की और विश्वभारती की जमीन पर इन दुकानों की अनुमति नहीं देने का फैसला किया क्योंकि यह लंबे समय में एक और कवि गुरु बाजार बन सकता है। जब विश्वभारती को इसकी आवश्यकता होगी तो भूमि को

पुनः प्राप्त करना कठिन होगा। हमने इन दुकान मालिकों को एक सप्ताह का नोटिस दिया और फिर इन्हें गिराने की योजना को आगे बढ़ाया। हालांकि यह सच है कि अनधिकृत निर्माण को रोकने के हमारे फैसले ने उन दुकान मालिकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। यह भी सच है कि हम विश्वभारती की संपत्ति के संरक्षक हैं। इसलिए कुछ लोगों की नाराजगी के बावजूद कठोर निर्णय लेना पड़ा।

7) हाल ही में, जून, 2020 में, हमें बताया गया कि हमारी भूमि में थान छात्रावास के पास शिव मंदिर का निर्माण किया जा रहा है । हमने स्थानीय लोगों से यह कहते हुए अपील की कि भूमि विश्वभारती की है इसलिए किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके अलावा, विश्वभारती की परंपरा के अनुसार और ट्रस्ट डीड में दिए गए निदेशानुसार किसी भी रूप में किसी भी देवता की पूजा (औपचारिक पूजा)पूरी तरह से निषिद्ध है। हमारे अनुरोध को स्थानीय पार्षद के प्रतिनिधि सहित स्थानीय लोगों ने नहीं माना। स्थानीय पंचायत ने दीवार के निर्माण को रोकने के लिए बहुत प्रयास किया।हमें एक नोटिस दिया गया जिसमें कहा गया था कि विश्वभारती के पास उस भूमि पर कोई अधिकार नहीं है।यह दावा किया गया था कि वह सरकारी भूमि है, जो विश्वभारती भूमि के अभिलेख के अनुसार गलत है। थान छात्रावास की सुरक्षा के लिए चहारदीवारी बनाने के लिए हमने अपने संसाधनों का उपयोग किया। चूंकि विवादास्पद जगह विश्वभारती की थी, इसलिए हमने कानूनी रूप से आगे बढ़ने का फैसला किया।

8) खसपारा, पूर्वपल्ली रेलवे लाइन क्षेत्र, दक्षिण पल्ली, भुवनडंगा बंध एवं अन्य क्षेत्रों में भी आप्रवासियों और झुग्गीवासियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। इन क्षेत्रों को आसानी से अतिक्रमण कर लिया गया है क्योंकि कोई चारदीवारी नहीं है। विश्वभारती का परिसर खुला है इसलिए तथाकथित भूमि अतिक्रमण करने वाले लोग इसकी भूमि पर आसानी से कब्जा जमा लेते हैं।

9)आदिवासियों, आप्रवासियों, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के इन सामुदायिक अतिक्रमणों के अलावा,संपन्न लोग,यहां तक कि विश्वभारती के कार्मिक भी विश्वभारती की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं ।

तत्काल क्या किया जाना जरूरी है: -

क) दक्षिण पल्ली के पुराने उप-रजिस्ट्री कार्यालय: 15-20 स्टाल हटाए जाएँ। परित्यक्त भवन को ध्वस्त किया जाए। चहारदीवारी (लगभग 100 मीटर) की ऊँचाई बढ़ाई जाए।

ख) भुवनडंगा बंध क्षेत्र: यह वर्तमान में सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। 40-50 निर्माण हटाए जाने हैं। 1400 मीटर चहारदीवारी निर्माण किया जाना आवश्यक है। विश्वविद्यालय द्वारा 2012 में निर्मित अधूरी चहारदीवारी को पूरा करने के लिए 200 मीटर चहारदीवारी बनाने की जरूरत है।

ग) पट्टे की भूमि पर अनधिकृत कब्जे: पूर्वपल्ली/दक्षिणपल्ली/श्रीपल्ली के पट्टे वाले भूखंडों के अनधिकृत कब्जों को खाली करवाना आवश्यक है। ये अधिवासी बहुत ही ऊँचे दर्जे के लोग हैं और वे उस जमीन पर अपने अवैध दावे को बनाए रखने के लिए हर तरह से प्रयास करते हैं, जिस पर उनका कोई कानूनी हक नहीं है। उनका नाम लेना मुश्किल है हालांकि अवैध कब्जा करने वालों की सूची में उनका नाम है क्योंकि उनमें से कुछ विश्व स्तर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो विश्वभारती के अनुरोध के बावजूद बेखौफ होकर विश्वभारती की भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा किए हुए हैं। इस बात को एक छोटी सी घटना के विवरण के साथ समाप्त करता हूं जो मैंने विश्वभारती परिसर में लीज-होल्ड लैंड सेटलमेंट से संबंधित कुछ दस्तावेजों की जांच के बाद इकट्ठा किया है। विश्वभारती में उपलब्ध जमीन अभिलेखों से पता चलता है कि 1940 के दशक के मध्य में विश्व स्तर पर प्रसिद्ध एक व्यक्ति के पिता ने श्री रथिंद्रनाथ टैगोर को पत्र लिखा था(जो अपने पिता के निधन के बाद विश्वविद्यालय की देखरेख कर रहे थे)।इसमें लैंडिन लाल बंध के जमीन के एक टुकड़े (जो उस व्यक्ति के कब्जे में था जिसने यह पत्र लिखा था)के बदले परिसर में जमीन का एक टुकड़ा आबंटित करने के लिए सहमत होने का अनुरोध किया गया था। लाल बंध की यह भूमि बेकार बंजर भूमि है। गुरुदेव का बेटा एक गंभीर दुविधा में था क्योंकि कई जटिल कारणों से अनुरोध को अस्वीकार करना उनके लिए आसान नहीं था।उन्होंने हमारे एक पूर्व कुलपति के दादा की सलाह मांगी,जिन्होंने स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण होने के कारण श्री रथिंद्रनाथ टैगोर को ऐसा करने से मना किया क्योंकि यह विश्वभारती के हित में नहीं था।इस निर्णय से गुरुदेव के पुत्र और शांतिनिकेतन स्थित उस परिवार के संबंधों में खटास पैदा हो गया।

घ) जिन भवनों के लिए विश्वभारती ने जमीन दी है,उनका किराया बहुत कम है: उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल SEDCL, SBI, दूरदर्शन, AIR, से जो किराया हमें प्राप्त होता है, उसका तत्काल पुनरीक्षण आवश्यक है क्योंकि किराया कई दशक पूर्व तय किया गया था और हमने किसी औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर भी नहीं किए हैं। परिसर और इसके आसपास के क्षेत्र में जमीन के बढ़ते बाजार मूल्य के मद्देनजर, किराया सुनिश्चित करने एवं कानूनी समझौतों को पूरी तरह फिर से जांच करने की आवश्यकता है।

च) विश्वभारती को कानूनी रूप से आय से वंचित करने की चरम सीमा यह है कि परिसर की भूमि पर स्थित होने के बावजूद,सहकारी क्रेडिट सोसाइटी (मेला मैदान के सामने)कोई किराया नहीं देती और सामवयिक (पोस्ट ऑफिस और सुवर्णरेखा के पास)नाम मात्र का किराया 100 रू0 प्रतिमाह देती है। दिलचस्प बात यह है कि पूर्व के संबंध में कोई लीज एग्रीमेंट नहीं है और इसकी स्थापना के बाद से कभी कोई किराया नहीं दिया गया, और यह परिसर की जमीन पर वर्षों से एक प्रमुख स्थान पर स्थित है। हमने पिछले महीने (जून, 2020) से समझौते की प्रक्रिया शुरू कर दी है और उचित मासिक किराए के लिए क्रेडिट सोसायटी चलाने वाली समिति के साथ बातचीत कर रहे हैं। जहाँ तक सामवयिक का संबंध है, मामला थोड़ा रबींद्रिक है क्योंकि सामवयिक सब्जी विक्रेता और विश्व यात्रा से किराए के रूप में प्रति माह 500 रू0 से अधिक कमाती और विश्व भारती को केवल 100 रू0 प्रति माह किराया देती है। इस प्रकार, इसकी किराये की आय विश्वभारती को किराया देने की राशि से अधिक है। यह एक घोटाला है जिसकी पूरी जांच होनी चाहिए। फंडिंग एजेंसी, एमएचआरडी को सूचित किया जा चुका है। इसके अलावा, इसकी वार्षिक बिक्री की तुलनपत्र सम्मानजनक आय दर्शाती है। सामवयिक, कैंपस के भीतर प्रमुख स्थान पर स्थित दो बड़ी भवनों का उचित किराया देने के लिए तैयार नहीं हैं। हमने उचित किराए के निर्धारण के साथ एक नए समझौते की प्रक्रिया शुरू की है। यदि सामवयिक सहमत नहीं होती है, तो हम भूमि कानून के अनुसार कदम उठाएंगे, जो फिर से एक अप्रिय निर्णय होगा जो सामवयिक से फलने-फूलने वाले लोगों के लिए कष्टकर होगा ।

च) मानवता के लिए टैगोर की चिंता के प्रति संवेदनशील होने के नाते, हम उन लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारियों से अवगत हैं जो बलीपारा, पियरसन पल्ली और कालीगंज इलाकों में नब्बे से अधिक वर्षों से कब्जे वाली जमीन पर रह रहे हैं। जैसा कि विश्वभारती ने पहले ही राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाणपत्र दे दिया है, स्थानीय अधिकारियों को इन क्षेत्रों में उन सभी सामाजिक-आर्थिक लाभों को विस्तारित करने के लिए कोई बाधा नहीं है जो अन्य क्षेत्रों में दिए गए हैं। इसके अलावा, सरकार को इस तरह की गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ कठोरतापूर्वक कानूनी कार्रवाई करके विश्वभारती के आरंभ के दिनों से ही रह रहे आदिवासियों को हटाने एवं भू-अतिक्रमणकारियों को रोकने की आवश्यकता है।

जैसा कि मेरे पूर्व के संदेशों में था, इस संदेश का उद्देश्य विश्वभारती के अपकर्ष के कारणों का पता लगाना है। यह गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का सपना था जो नवोन्मेष सामाजिक-आर्थिक डिजाइन द्वारा

परिवर्तन लाना चाहते थे। मैं इस संदेश को उसी अपील के साथ समाप्त करता हूं जो मैंने अपने पहले संदेश में की थी: चूंकि हमारी लड़ाई कोविद-19 के खिलाफ है, हमें सामाजिक रूप से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि यह इस अदृश्य दुश्मन के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार है जिससे हमारे दैनिक जीवन में गंभीर अव्यवस्थाएं पैदा होती हैं।

भरोसा रखें।

बिद्युत चक्रवर्ती
25/03/2020

बिद्युत चक्रवर्ती

•विश्वभारती•
शान्तिनिकेतन

Vice-Chancellor
Visva-Bharati
Santiniketan
West Bengal-731235
India

(13)

Visva-Bharati
Estate Office

ESTATE OFFICE * Santiniketan * VISVA-BHARATI

Report on Eviction of Unauthorized Occupants and Demolition of Unauthorized Structures during the last two years

Trough administrative action by Estate Office

Serial no	Date	Place	Land area Made Encroachment-Free	Details of Structures Removed	Remarks
1	25-11-2018	Post Office Market	3 decimals	6 stalls	These stalls were not in use.
2	06-01-2019	Dakshinpalli	02 decimals	3 huts	One family was residing. University has now walled / beautified the place. Students have done paintings on new wall.
3	10-01-2019	Post Office Market	2 decimals	3 stalls	
4	27-01-2019	Ratanpalli Market	01 decimals	2 stalls	
5	27-01-2019	Backside of Nanda Sadan Boys Hostel	05 decimals	1 abandoned Building (LSS qtrs)	Anti-socials were using this building. One family was also residing. Local people had complained to Governor.
6	01-02-2019	Nanda Sadana Hostel, Santisri Hostel	04 decimals	02 unauthorized canteens	These two unauthorized canteens were built more than 15 years ago. **Earlier attempts to demolish these were foiled by students.**
7	4-02-2019 9-02-2019	Lalbundh	02 decimals	1 earthen hut and 1 wooden hut	Sekh Asgar was residing here for 10 years. Even complaint to police failed to remove him.
8.	17-02-2019	Ratanpalli Market near Creche	02 decimals	2 stalls	Stall owners were dumping wastes inside the crèche.
9.	19-2-2019	Post Office Market	01 decimal	2 stalls	
10	8-4-2019, 9-4-2019	Ratanpalli	03 decimals	Abandoned building	The abandoned building was being used by anti socials.
11	12-4-2019	Dakshinpalli staff qtrs	0.5 decimal	1 unauthorized pucca structure	Structure built unauthorized by Tanup Nath, employee.
12	15-4-2019	Gurupalli (near CFEL)	0.5	1 pucca toilet was built on V-B land.	
13	16-6-2019	Handicraft Market (Nisa Hotel - SBI)	-	-	Notice issued. Gov't help solicited. Meetings held. Project underway.
14	26-7-2019	Siksha Bhavana More to Vinaya-Bhavana More	20 decimals	10 stalls removed and earth levelled	Plantation done by Garden Section subsequently.

cont'd .. P/2

ESTATE OFFICE
Santiniketan
VISVA-BHARATI

15	14-8-2019	Post Office Market	02 decimals	3 stalls removed	
16	12-12-2019	Ratanpalli (backside of NCC)	01 decimal	1 building	Joint survey done. Engg Dept requested for boundary wall urgently.
17	24-01-2020	Near SBI, Santiniketan	-	-	Notice issued to Dasarath Konui Chinmoy Hazra, Bubai Hazra, Chinu. 03 dec land is encroached.
18	07-02-2020	Bhubandanga (Bolpur Mouza)	13 decimals		This was earlier given to PSV for running school. Caretaker's son staying here for 20 years. Land surveyed and marked. **Inspection report sent to authority for decision. Demolition and boundary wall required.**
19	07-03-2020	Nichu Bandhgora (Bandhgora mouza)	11 decimals	1 structure (Manasa temple)	Land surveyed, identified and pillared in presence of local people, V-B Security, Advocate and Councillor. **Proposal for boundary wall pending.**
20	09-06-2020	Post Office Market	03 decimals	6 stalls demolished.	
21	18-6-2020, 19-6-2020, 20-6-2020	Tan Boys Hostel	01	01 structure and 4 concrete columns	Unauthorized Shiva temple removed. Part of the complex walled by Engg Dept in presence of Estate, Security. **Boundary wall is to be completed.**

Proceedings started under PP Act, 1971

Sl No	Name of Suspected Occupier	Case no, if any	Area of Land affected	Present Status
1.	Madhabi Bhattacharya	1/ 2019	132 dec	Pending
2.	Branch Manager, BDCCB, Sriniketan	5/2019	10 dec	Construction stopped. Bank applied for agreement as per EC resolution of V-B
3.	Ananya Roy	4/ 2019	7 dec	Pending
4	Ashis Nayek	5/ 2018	0.5 dec	Structure sealed
5.	Shital Dhibar	2/2020	2.5 dec	Construction stopped by party
6	Subhayu Chattopadhyay Satya Sain	4/2018	17 dec	Pending
7	Sumitro Kar	3/2019	19 dec	Pending/ Joint Survey held/ record corrected by the BLLRO
8	Subir Hazra		01 dec	Structure removed by party
9	Sk Humayun Jyotsna Bibi		03 dec	Pending
10	Inaul Mallik	3/2020	2.5 dec	Structure removed by party

cont'd P/3